

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 3 (7)/शिक्षा-4/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 15.06.2020

1. कुलपतिगण, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. प्रेसिडेण्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


विषय:-कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के मध्यनजर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 के लिए किसी प्रकार के शुल्क में अभिवृद्धि नहीं करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं लोक डाउन के कारण समस्त प्रकार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों के साथ साथ सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं निजी कार्यालय बन्द रहे हैं। इससे अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है।

अतः काविड-19 वैश्विक महामारी के मध्यनजर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में फीस वसूली के संदर्भ में पूर्ण सहानुभूति बरतें एवं विगत सत्र की अपेक्षा सत्र 2020-21 के लिए फीस की किसी भी मद में किसी प्रकार की अभिवृद्धि नहीं की जावे। चालू सत्र 2019-20 की शेष परीक्षाओं हेतु परीक्षा शुल्क में भी किसी प्रकार की अभिवृद्धि नहीं की जावे।


भवदीय,


(शुचि शर्मा)

शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. कुलसचिवगण समस्त संबंधित विश्वविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा


आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :प.7 (4) प्रवेश नीति /अकाद/आकाशि/2020-21/987

दिनांक 17-06-2020

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. प्राचार्य, समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. वेब प्रभारी, आकाशि, जयपुर


(डॉ0 दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक, अकादमिक
कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर